C.N. 109/2021

19/09/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. अप्रार्थी सं. 1 से 5 के द्वारा फर्द दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में शा.मि. रहे। उभयपक्षकार की प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई।

पत्रावली वास्ते कागज पर आदेश हेतु दि. 17/10/23 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

17/10/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. [illegible] का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा.मि. किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 109/2021

1. रामरतन पुत्र भंवर सिंह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. कंचन देवी पत्नि राधामोहन जाति जाट निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
2. नन्दू देवी पत्नि दिनेश जाति जाट निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
3. नोसर देवी पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
4. सोहन देवी पत्नि रामलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)
5. चन्दा देवी पत्नि गोविन्द सिंह जाति राजपूरोहित निवासी ग्राम बीती तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर (राज0)

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 17/10/2023

उपस्थितः	श्री परमानन्द शर्मा	प्रार्थी अभिभाषक
	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4
	श्री रविकान्त शर्मा	अप्रार्थी सं0 5

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री परमानन्द शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के कब्जे काश्त व सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 51 पुराना 154 के ख0नं0 477/201 रकबा 2.4270 हैक्टयर भूमि ग्राम बीती पटवार हल्का बीती भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ में स्थित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 3/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/15 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 2/15 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 2/15 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 5 का 3/10 हिस्सा निहित है। जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे हो रखा है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अप्रार्थीगण के मध्य बटवारा नही हो रखा है इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन हंकाई व जुताई करने, काश्त करने बाबत् विवाद होता रहता है जिसके कारण कई मर्तबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5, अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के परिवारजन के मध्य लडाई झगडा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण समय पर काश्त नहीं कर पाते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की रही है। प्रार्थी समय पर अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नही कर पाये जिसके कारण प्रार्थी को नुकसान हो इस नियत से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में बाधा कारित करते रहते है। प्रार्थी के द्वारा रास्ते से लगती हुई अपने हिस्से के अनुसार भूमि पर हंकाई व जुताई कर काश्त करना चाहने पर अप्रार्थी सं0 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के परिवारजन के द्वारा दिनांक 09.08.2021 को बाधा कारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के परिवारजन के द्वारा रास्ते की तरफ हिस्से से ज्यादा भूमि पर हंकाई व जुताई कर काश्त करने का अवैध कृत्य करने का प्रयास किया गया। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन को उक्त अवैध कृत्य करने से रोका जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन द्वारा लडाई झगडा करने का प्रयास कर प्रार्थी को धमकी दी गई कि हम रास्ते की तरफ ज्यादा भूमि लेंगे तुम्हे रास्ते की तरफ हिस्से अनुसार भूमि पर काश्त नहीं करने देगे एवं डोल लगाकर रास्ते की तरफ की भूमि पर कब्जा करेगे। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को रास्ते की तरफ की भूमि पर हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने का किसी तरह का कोई विधिक अधिकार नही है। विधिक प्रावधानो के तहत क राजस्व रिकॉर्ड में निहित हिस्से के अनुसार रास्ते की तरफ की भूमि पर काश्त की जा सकती है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन की नियत रास्ते की तरफ की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने की नियत होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन अवैध रूप से उक्त भूमि पर डोल लगाने पर उतारू है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का रास्ते से लगती हुई हिस्से अनुसार सहमति से बंटवारा करने हेतु दिनांक 09.08.2021 को कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा हिस्से अनुसार बंटवारा करने से इन्कार कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा किसी तरह का कोई ध्यान नही दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को प्रार्थना पत्र में वर्णित वाद ग्रस्त भूमि के अनुसार रास्ते से लगती हुई भूमि पर काश्त करने में बाधा कारित करने व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को रास्ता से लगती हुई हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने का, उक्त पर बिना बटवारा के डोल लगाने का किसी तरह का कोई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

विधिक अधिकार नही होने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा आपस में मिलकर रास्ता से लगती हुई हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने का, उक्त पर बिना बटवारा के डोल लगाने की धमकी देने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को ताफेसला मूल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी को वाद ग्रस्त भूमि के अपने हिस्से अनुसार रास्ता से लगती हुई भूमि पर काश्त करने, उक्त का उपभोग करने पर किसी तरह की कोई बाधा कारित नही करे तथा रास्ता से लगती हुई हिस्से से ज्यादा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 कब्जा नही करे व उक्त पर बिना बटवारा के डोल नही लगाये। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का सहमति से बंटवारा करवाने से इन्कार कर दिये जाने के कारण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा हिस्से से ज्यादा रास्ते की तरफ की भूमि पर अवैध रूप से डोल लगाने की धमकी देने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने व वाद अधीन भूमि के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है। वाद कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी के द्वारा रास्ते से लगती हुई अपने हिस्से के अनुसार भूमि पर हंकाई व जुताई कर काश्त करना चाहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन के द्वारा दिनांक 09.08.2021 को बाधा कारित करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन के द्वारा रास्ते की तरफ हिस्से से ज्यादा भूमि पर हंकाई व जुताई कर कब्जा करने का अवैध कृत्य करने का प्रयास करने पर प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन के द्वारा लडाई झगडा करने का प्रयास कर प्रार्थी को धमकी दी गई कि हम रास्ते की तरफ ज्यादा भूमि लेगे तुम्हारे को रास्ते की तरफ हिस्से अनुसार भूमि पर काश्त नही करने देगे एवं डोल लगाकर रास्ते की तरफ की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करेगे व प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का रास्ते से लगती हुई हिस्से अनुसार सहमति से बंटवारा करने हेतु कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा हिस्से अनुसार बंटवारा करने से इन्कार करने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन जारी है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सिद्व है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 3/10 हिस्सा निहित हैं जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो रखा है। प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार भूमि का काश्त करने, उक्त का उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर काश्त करने, उक्त का उपभोग उपभोग करने में बाधा कारित करने का कोई अधिकार नही हैं, ना ही बिना बंटवारा के अप्रार्थीगण को भूमि पर डोल लगाने का किसी तरह का कोई अधिकार है। अतः प्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

से 4 को जरिये परिवारजन, नोकर चाकर के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी के हिस्से अनुसार रास्ता से लगती हुई भूमि पर प्रार्थी के द्वारा काश्त करने, उक्त का उपयोग उपभोग करने पर किसी तरह की कोई बाधा कारित नहीं करे तथा बिना बंटवारा के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 डोल नही लगाये।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 5 की ओर से वकील श्री रविकान्त शर्मा द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी में स्थित है, किन्तु मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा संयुक्त रूप से तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 का हिस्सा संयुक्त रूप से अलग–अलग मौके पर स्थित है। वाद अधीन भूमि का मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य बंटवारा हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 मौके पर संयुक्त रूप से अपने हिस्से में काबिज है तथा शेष में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का हिस्सा नक्शे में मौके पर काबिज अनुसार लाल रंग किया गया है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 का मौके पर संयुक्त रूप से काबिज हिस्से को नीले रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने वादअधीन भूमि में विक्रेता खातेदार रामप्यारी पुत्री मोमा जाट निवासी ग्राम बीती से दिनांक 20.04.2014 को संयुक्त रूप से कुल 6 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर मौके पर कब्जा विक्रेता खातेदार से प्राप्त किया था। विक्रेता खातेदार ने वादअधीन भूमि के उत्तर दिशा की ग्राम बीती की तरफ की ग्राम रारी से बीती जाने वाले रास्ते पर स्थित 06 बीघा भूमि का विशिष्ठ रूप से बैचान कर मौके पर कब्जा सम्भलाया था, उसी जगह पर क्रय दिनांक से आज दिनाक तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज चले आ रहे है। अपने हिस्से की भूमि पर क्रय दिनांक से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी भूमि व फसल की सुरक्षा के लिये मिट्टी की डोल लगा रखी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कभी भी हंकाई जुताई काश्त करने बाबत् विवाद नही किया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजनो के मध्य लडाई झगड़ा उत्पन्न होने के कथन मिथ्या वर्णित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कभी भी प्रार्थी को हैरान परेशान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

नही किया है, ना ही कभी भूमि काश्त करने में बाधा कारित की है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 का संयुक्त रूप से तथा अप्रार्थी से संख्या 1 लगायत 4 का संयुक्त रूप से अलग–अलग काब्जाकाश्त है तथा मौके पर वादअधीन भूमि के स्पष्ट रूप से मिट्टी की डोल अलग होकर दो भू–भाग हो रखे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एकल खातेदार विक्रेता द्वारा विशिष्ठ रूप से विक्रित भू–भाग पर काबिज है, शेष भू–भाग पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादअधीन भूमि के क्रय दिनांक से विशिष्ठ भू–भाग पर संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 संयुक्त विशिष्ठ भू–भाग पर क्रय दिनांक से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की मिट्टी की डोल लगी हुई है जो वादअधीन कृषि भूमि को दो भागो में विभक्त करती है। क्रय दिनांक 24.04.2014 से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हुए थे, उसी पर आज दिन तक काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने जिस एकल खातेदार से भूमि क्रय की है, उसी खातेदार से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 ने भूमि क्रय की है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से पर हंकाई जुताई करते है, जिसके चारो ओर मिट्टी की डोल लगी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 दिनांक 09.08.2021 को यह अन्य किसी भी दिन प्रार्थी के हंकाई जुताई में कोई बाधा कारित नही की है। प्रार्थी द्वारा रास्ते से लगती हुई भूमि की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा अपने हिस्से अधिक भूमि की हंकाई जुताई करने के तथ्य मिथ्या एवं निराधार अंकित किये है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिजन द्वारा लडाई झगडा करने व धमकी देने के कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि पर क्रय दिनांक से मिट्टी कच्ची डोल बनी हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से की कच्ची मिट्टी की डोल से महदूद हिस्से में ही क्रय दिनांक से काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के हिस्से की भूमि पर क्रय दिनांक को जब कब्जा लिया तब से कच्ची मिट्टी की डोल लगी हुई है जो आज दिन तक मौके पर मौजूद है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को विशिष्ठ भू–भाग विक्रय कर मौके पर विशिष्ठ भू–भाग का कब्जा सम्भलाया गया था तभी से वह अपने हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने के लिये मिट्टी की डोल लगा रहे है या डोल लगाने की धमकी दी है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में कोई बाधा कभी भी कारित नही की है बल्कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की डोल को क्षतिग्रस्त कर इस प्रार्थना पत्र की आड में कब्जा करना चाहता है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने गलत व मिथ्या कथन के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गलत व निराधार होने से अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी सहअभिलिखित खातेदारों के विरूद्ध विधिक रूप से किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

3.2 अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तथा जवाबकर्त्ता के मध्य बंटवारा नहीं होने के कारण कृषि भूमि की बुवाई जुताई करते समय विवाद होता रहता है जिसके कारण कई मर्तबा लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत खराब होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन भूमि की जुताई बुवाई करने पर बाधा कारित करते रहते है, जिसके कारण काश्त करने में देरी हो जाती है। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत खराब होने के कारण रास्ते की तरफ हिस्सा अनुसार काश्त नही कर हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त की जा रही है इसी नियत से आये दिन काश्त करने में बाधा कारित करते रहते है जिसके कारण जवाबकर्त्ता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना बंटवारा के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को डोल लगाने का किसी तरह का कोई विधिक आधार नही है, उक्त के बावजूद भी अवैध रूप से भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 डोल लगाने पर उतारू है। जवाबकर्ता वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से बंटवारा करने से सहमत होकर तत्पर एवं तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मन में खोट होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने हेतु तैयार नहीं है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य बटंवारा नही हो रखा है इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन हंकाई व जुताई करने, काश्त करने बाबत् विवाद होता रहता है जिसके कारण कई मर्तबा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5, अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के परिवारजन के मध्य लडाई झगडा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण सयम पर काश्त नही कर पाते है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत प्रार्थी को हैरान व परेशान करने की रही है। प्रार्थी समय पर अपने हिस्से की भूमि पर काश्त नही कर पाये जिसके कारण प्रार्थी को नुकसान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

हो इस नियत से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में बाधा कारित करते रहते है। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का रास्ते से लगती हुई हिस्से अनुसार सहमति से बंटवारा करने हेतु दिनांक 09.08.2021 को कहने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा हिस्से अनुसार बंटवारा करने से इन्कार कर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा किसी तरह का कोई ध्यान नही दिया गया एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के द्वारा आपस में मिलकर रास्ता से लगती हुई हिस्से से ज्यादा भूमि पर कब्जा करने का, उक्त पर बिना बटवारा के डोल लगाने की धमकी देने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को ताफेसला मूल अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के अपने हिस्से अनुसार रास्ता से लगती हुई भूमि पर काश्त करने, उक्त का उपभोग करने पर किसी तरह की कोई बाधा कारित नही करे तथा रास्ता से लगती हुई हिस्से से ज्यादा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 कब्जा नही करे व उक्त पर बिना बंटवारा के डोल नहीं लगाये। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु सिद्ध है। वाद ग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 3/10 हिस्सा निहित है जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड में हो रखा है। प्रार्थी को अपने हिस्से अनुसार भूमि का काश्त करने, उक्त का उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है, अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर काश्त करने, उक्त का उपभोग उपभोग में बाधा कारित करने का कोई अधिकार नही है, ना ही बिना बंटवारा के अप्रार्थीगण को भूमि पर डोल लगाने का किसी तरह का कोई अधिकार है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को जरिये परिवारजन, नोकर चाकर के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का प्रार्थी के हिस्से अनुसार रास्ता से लगती हुई भूमि पर प्रार्थी के द्वारा काश्त करने, उक्त का उपयोग उपभोग करने पर किसी तरह की कोई बाधा कारित नही करे तथा बिना बटवारा के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 डोल नहीं लगाये।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादअधीन भूमि का मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के मध्य बंटवारा हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 मौके पर संयुक्त रूप से अपने हिस्से में काबिज है तथा शेष में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का हिस्सा नक्शे में मौके पर काबिज अनुसार लाल रंग किया गया है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 का मौके पर संयुक्त रूप से काबिज हिस्से को नीले रंग से दर्शाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

लगायत 4 ने वादअधीन भूमि में विक्रेता खातेदार रामप्यारी पुत्री भोमा जाट निवासी ग्राम बीती से दिनांक 20.04.2014 को संयुक्त रूप से कुल 6 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के खरीद कर मौके पर कब्जा विक्रेता खातेदार से प्राप्त किया था। विक्रेता खातेदार ने वादअधीन भूमि के उत्तर दिशा की ग्राम बीती की तरफ की ग्राम रारी से बीती जाने वाले रास्ते पर स्थित 06 बीघा भूमि का विशिष्ठ रूप से बैचान कर मौके पर कब्जा सम्भलाया था, उसी जगह पर क्रय दिनांक से आज दिनाक तक अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 काबिज चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने कभी भी हंकाई जुताई काश्त करने बाबत् विवाद नही किया है। वादअधीन भूमि के स्पष्ट रूप से मिट्टी की डोल अलग होकर दो भू-भाग हो रखे है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एकल खातेदार विक्रेता द्वारा विशिष्ठ रूप से विक्रित भू-भाग पर काबिज है, शेष भू-भाग पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 संयुक्त रूप से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में कोई बाधा कभी भी कारित नही की है बल्कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की डोल को क्षतिग्रस्त कर इस प्रार्थना पत्र की आड में कब्जा करना चाहता है प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ने गलत व मिथ्या कथन के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गलत व निराधार होने से अस्वीकार है।

4.3 वकील अप्रार्थी सं0 5 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तथा जवाबकर्त्ता के मध्य बंटवारा नहीं होने के कारण कृषि भूमि की बुवाई जुताई करते समय विवाद होता रहता है जिसके कारण कई मर्तबा लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत खराब होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व उनके परिवारजन भूमि की जुताई बुवाई करने पर बाधा कारित करते रहते है जिसके कारण काश्त करने में देरी हो जाती है। वादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं होने के कारण, अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की नियत खराब होने के कारण रास्ते की तरफ हिस्सा अनुसार काश्त नहीं कर हिस्से से ज्यादा भूमि पर काश्त की जा रही है, इसी नियत से आये दिन काश्त करने में बाधा कारित करते रहते है जिसके कारण जवाबकर्ता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिना बंटवारा के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को डोल लगाने का किसी तरह का कोई विधिक आधार नही है, उक्त के बावजूद भी अवैध रूप से भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से अप्रार्थी संख्या 1 से 4 डोल लगाने पर उतारू है। जवाबकर्ता वादग्रस्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

का विधिक रूप से बंटवारा करने से सहमत होकर तत्पर एवं तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मन में खोट होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने हेतु तैयार नहीं है।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र व बहस के दौरान उठाये गये कथनो/तथ्यों की वास्तविकता के संबंध में मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर गुणागुण परिक्षण कर निर्णय पारित किया जावेगा।

न्यायालय हाजा को यह उचित प्रतीत होता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ताकि वाद बाहुलता नहीं बढ़े।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ग्राम बीती पटवार हल्का बीती भू अभिलेख क्षेत्र बरणा तहसील किशनगढ़ स्थित खाता सं0 नया 51 पुराना 154 के ख0नं0 477/201 रकबा 2.4270 हैक्टेयर भूमि के विचाराधीन मूल राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17/10/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)